



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम-“मिनी रत्न” कंपनी)
केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़
जिला: श्री गंगानगर(राज.)
फोन: 01509-220006, 220084, 223877(ऑफिस)
फैक्स: 01509-220068, 223877(ऑफिस)

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
(A Government of India Undertaking-“MINI RATNA” Company)
CENTRAL STATE FARM, SURATGARH
Dist.: Shri Ganganagar (Raj.)
Phone: 01509-220006, 220084, 223877(Office)
Fax: 01509-220068, 223877(Office)

क्र०: सी०एस०एफ०/सूरत/11/टीएस/45/2014-15

दिनांक:- 22.01.2016

नीलामी सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड की ईकाईयों केन्द्रीय राज्य फार्म,सूरतगढ़ व सरदारगढ़ में मशीनरी, कृषि उपकरणों और स्क्रेप की नीलामी मोहर बन्द निविदा एवम् खुली बोली द्वारा निम्न लिखित दिनांक में की जायेगी जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार से है:-

नीलामी का स्थान	नीलामी की तारीख	नीलाम किये जानी वाली वस्तुएं
केन्द्रीय राज्य फार्म,सूरतगढ़,	25.02.2016	ट्रैक्टर, Motorgrader, dozer, कृषि उपकरण, बैटरी, पुराने गनी बैग व सीमेण्ट के खाली बैग व पुराने लोहे का सामान व अन्य सामान।
केन्द्रीय राज्य फार्म,सरदारगढ़	26.02.2016	ट्रैक्टर, कृषि उपकरण, बैटरी, पुराने गनी बैग, सीमेण्ट के खाली बैग बस पुराने लोहे का सामान व अन्य सामान।

बोली उपरोक्त स्थान एवं दिनांक को प्रातः 10.00 बजे प्रारम्भ होगी। रुपये 10,000/- रुपये दस हजार स्क्रेप के लिये व रुपये 25000/- रुपये पच्चीस हजार मशीनरी एवं उपकरणों के लिए धरोहर राशि मोहर बन्द निविदा जमा करने या खुली बोली में भाग लेने के लिए आवश्यक होगी। उपरोक्त धरोहर राशि डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में होना चाहिये जो कि **NATIONAL SEEDS CORPORATION LTD,** के नाम से देय हो। धरोहर राशि के बिना कोई भी निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी और न खुली बोली में भाग लेने दिया जायेगा। उच्चतम बोली लगाने वाले को 25 प्रतिशत राशि तुरन्त जमा करवानी होगी। सामान जंहा है जैसा है की स्थिति में दिया जाय। नीलामी से सम्बन्धित विस्तृत और नियम व ‘शर्तें निगम की वेबसाईट www.indiaseeds.com एवं सम्बन्धित फार्म कार्यालय पर उपलब्ध है।

भवदीय

प्रबन्धक
(यांत्रिक)

पुरानी कण्डम मशीनों, कृषि यन्त्रों व कबाड़ के निस्तारण हेतु खुली नीलामी व निविदा के लिए नियम व शर्तें:—

1. निविदादाता को निविदा में भाग लेने हेतु मशीनों (कैपिटल आइटम्स) के लिए ₹ 25,000/— व कबाड़ के लिए ₹ 10,000/— जमानत राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट जो कि राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, सूरतगढ़ के नाम से देय हो फार्म खजांची के पास जमा करवाना होगा।
2. सभी निविदादाताओं को खुली नीलामी से पूर्व बन्द लिफाफे में निविदा जमा करानी होगी व उसके पश्चात ही वो खुली नीलामी में भाग ले सकेंगे। निगम को उन आइटम्स की बन्द लिफाफे में निविदा प्राप्त करने का अथवा पुनः नीलामी करने का अधिकार होगा जिनकी प्राप्त अधिकतम बोली समिति द्वारा स्वीकृत नहीं की जाती है।
3. यदि नीलामी में भाग ले रहे सभी निविदादाताओं से बन्द लिफाफे में निविदा प्राप्त करना आवश्यक हुआ तो उन्हें सूचित कर दिया जायेगा। मशीनें व अन्य आइटम का निस्तारण "जहाँ है जैसा है" के रूप में किया जायेगा। निगम को आइटम घटाने/बढ़ाने अथवा निस्तारण न करने का पूर्ण अधिकार होगा।
4. सभी कर जैसे सेल्स टैक्स/वैट अथवा खरीददार द्वारा खरीदे गए सामान के गंतव्य स्थान तक ले जाने में अन्य कोई भी देय कर खरीददार को वहन करना होगा। यदि आवश्यक हुआ तो सेल्स टैक्स सर्टिफिकेट फार्म द्वारा जारी किया जायेगा।
5. निगम को किसी भी निविदा अथवा सभी निविदाओं को बिना कोई कारण बताए स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार होगा। इस विषय में निगम का निर्णय अंतिम होगा व सभी निविदादाताओं को मानने के लिए कानूनी बाध्यता होगी।
6. निविदा 30 दिनों तक खुली राखी जाएगी व यदि आवश्यक हुआ तो इसे 7 अतिरिक्त दिनों तक फार्म की आवश्यकतानुसार बढ़ाया जा सकेगा। निविदा को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक को होगा। मुख्यालय से स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त निस्तारण सम्बन्धी पत्र जारी किया जायेगा।
7. सफल निविदादाता को निविदा मूल्य की 25% राशि जमानत के रूप में नीलामी के तुरन्त बाद जमा करानी होगी। असफल निविदादाताओं की जमानत राशि निविदा सम्पन्न होने के बाद वापस कर दी जाएगी व सफल निविदादाताओं की जमानत राशि निविदा की कुल राशि प्राप्त होने के उपरान्त वापस की जाएगी।
8. सफल निविदादाता को स्वीकृति पत्र जारी होने की तिथि से 15 दिनों के अन्दर निविदा मूल्य की शेष राशि का भुगतान नकद अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट जो कि राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, सूरतगढ़ के नाम देय हो को जमा करके नीलामी किये गए सामान को उठाना होगा।
9. यदि सफल निविदादाता निर्धारित 15 दिनों के अन्दर बिक्री कर व आयकर सहित शेष धनराशि का भुगतान नहीं करता है तो कुल राशि पर 18% की दर से ब्याज देना होगा।
10. यदि सफल निविदादाता स्वीकृति पत्र जारी होने की तिथि से 30 दिनों के अन्दर निविदा मूल्य की शेष राशि का भुगतान नहीं करता है तो उसकी जमानत राशि व निविदा मूल्य की 25% जमा की गई राशि जब्त कर ली जाएगी। सामान स्वीकृति पत्र जारी होने की तिथि से पूरा भुगतान करते हुए हर हाल में 30 दिनों के अन्दर उठाना होगा जिसके उपरान्त हर सामान पर ₹ 10 प्रतिदिन के हिसाब से किराया वसूला जायेगा।
11. निस्तारण किया गया आइटम किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय कार्यकाल के दौरान दिया जायेगा। यदि निविदादाता निस्तारण किये गए सामान को अपने किसी प्रतिनिधि द्वारा उठवाता है तो उसके पास सामान को प्राप्त करने का अर्थॉरिटी लेटर होना चाहिए जिसे सक्षम अधिकारी द्वारा काउंटरसाइन किया जाना चाहिए।
12. यदि निविदादाता द्वारा नियम व शर्तों का उल्लंघन किया जाता है तो निगम उसके द्वारा जमा की गई जमानत राशि व अन्य भुगतान जब्त करने को स्वतन्त्र होगा।
13. यदि कोई निविदादाता फार्म के किसी कर्मचारी/अधिकारी से अनुचित लाभ लेने हेतु कोई सिफारिश करता हुआ पाया जाता है चाहे कारण जो भी हो, तो उसे निविदा में भाग लेने से प्रतिबन्धित कर दिया जायेगा व उसके द्वारा जमा कराई गई जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी।
14. निस्तारण किया गया सामान हर हाल में स्वीकृति पत्र जारी होने की तिथि से 60 दिनों के भीतर उठाना होगा। किराये की अधिकतम अवधि 30 दिन होगी।
15. यदि सफल निविदादाता सामान को स्वीकृति पत्र जारी होने की तिथि से 60 दिनों के भीतर नहीं उठाता है तो अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक को निविदा किये गए आइटम को पुनः नीलाम अथवा अन्य तरीके से निविदादाता की जिम्मेदारी पर निस्तारण करने का अधिकार होगा।
16. निविदादाताओं अथवा उनके प्रतिनिधि व फार्म समिति के बीच किसी भी तरह के विवाद को अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड को प्रस्तुत किया जायेगा। जिनका अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा व दोनों पक्षों के लिए कानूनन बाध्य होगा।